सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 170

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

901(द.), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66
दिनांक: 06 अप्रैल, 2023

विषय: निदेशक, तकनीकी समन्वय, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2023 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित राजभाषा प्रयोग की स्थिति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

निदेशक, तकनीकी समन्वय, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2023 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित राजभाषा प्रयोग की स्थिति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर सभी निदेशालयों/मानव संसाधन प्रबंध/स्कंध द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,

6/4/2023

(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं: 29583720

1. बैठक में उपस्थिति सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. निदेशक (स्था.1/स्था.2/स्था.3/प्रशा.), के.ज.आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/शाखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक, अभिकल्प एवं अनुसंधान समन्वय निदेशालय, निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.।
5. निदेशक (एसएमडी/पीसीपी), के.ज.आ.।

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।

निदेशक, तकनीकी समन्वय, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2023 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित राजभाषा प्रयोग की स्थिति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2023 को पूर्वाहन 10.30 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 151वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निदेशक, तकनीकी समन्वय, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2023 को एक समीक्षा बैठक कर केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्ययोजना बनाने का निदेश दिया। तदनुसार,निदेशक, तकनीकी समन्वय, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2023 को अपराह्न 3.00 बजे एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कार्मिकों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु ठोस उपाय करने के लिए सभी सदस्यों से सुझाव मांगा। उन्होंने उप निदेशक (रा.भा.) से कहा कि वे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की चर्चा करें ताकि सभी इस संबंध में उचित उपाय करने पर विचार कर सकें। उप निदेशक (रा.भा.) ने राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक के अध्यक्ष निदेशक, तकनीकी समन्वय ने कार्यालयीन भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु पहले से उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं तथा टूल्स का उपयोग करने का सुझाव दिया। इस संबंध में गहन परिचर्चा के बाद निम्नांकित मदों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया:-

मद सं.1 : क और ख क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर शतप्रतिशत हिंदी में दिया जाने अपेक्षित है । इस सम्बन्ध में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गहन प्रयास किए जाने हैं|

(सभी निदेशालय/स्कंध)

मद सं.2: राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार क,ख तथा ग क्षेत्र द्वारा क्रमशः 100%, 100%, तथा 65% पत्राचार हिंदी में किया जाना आपेक्षित हैं| हम लक्ष्य के काफी करीब है| सभी निदेशालय/स्कंध क, ख तथा ग क्षेत्र के साथ शत प्रतिशत पत्राचार करने का लक्ष्य रखें|

(सभी निदेशालय/स्कंध)

मद सं.3 : हिंदी टिप्पण का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इसके लिए अधिकांशत: प्रयोग में लाए जाने वाले वाक्याशों की सूची ई-ऑफिस पर उपलब्ध है। इसके अलावा, हिंदी अनुभाग द्वारा भी नोटिंग में सामान्यत: प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों की सूची तैयार की गई है जिसे एसएमडी निदेशालय द्वारा वेबसाइट पर डाला जा सकता है। इन सूचियों से उचित वाक्यों/वाक्यांशों का प्रयोग किया जा सकता है।

(सभी निदेशालय/स्कंध)

मद सं.4 : राजभाषा विभाग के निदेशानुसार टिप्पण-आलेखन में सरल व सहज शब्दों का प्रयोग किया जाए। कठिन शब्दों एवं तकनीकी प्रकृति के शब्दों का हिंदी में लिप्यांतरण किया जा सकता है।

(सभी निदेशालय/स्कंध)

मद सं.5 : सभी अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य करने को अत्यधिक सरल बनाने हेतु तकनीकी सुविधाओं/ ई-टूल्स का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। एसएमडी निदेशालय पूर्व में दिए आदेशानुसार ई-टूल्स के आवंटन संबंधी विवरण अद्यतित करें एवं सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुविधा दिए जाने हेतु उचित कार्रवाई करें तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारी इसका प्रयोग कर पाएं।

(सभी निदेशालय/स्कंध/एसएमडी निदेशालय)

मद सं.6: सभी निदेशालय अधिकांशत: जारी किए जाने वाले मसौदे का हिंदी अनुवाद तैयार करें ताकि इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जा सके। अनुवाद के लिए गूगल अनुवाद तथा Bing translator का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसे यथोचित सुधार कर कार्य किया जा सकता है। किसी प्रकार की समस्या आने पर हिंदी अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

(सभी निदेशालय/स्कंध)

मद सं.7: हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु ई-टूल्स एवं तकनीकी सुविधाओं के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की जाए जिसमें अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए।

(एसएमडी निदेशालय/हिंदी अनुभाग)

मद सं.8: एक से अधिक जगह भेजे जाने वाले पत्रों तथा परिपत्रों को निश्चित रूप से हिंदी में जारी किया जाए।

(सभी निदेशालय/स्कंध)

अंत में इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों/कार्मिकों का धन्यवाद किया तथा उपर्युक्त मदों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इस कार्यवृत्त के जारी होने के 15 दिनों के बाद पुन: सभी संबंधित निदेशालयों/स्कंधों/अनुभागों को उक्त अवधि (अगले 15 दिन) के आंकड़े तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र में भरकर हिंदी अनुभाग को भिजवाने का अनुरोध किया ताकि 15 दिनों के बाद पुन: समीक्षा बैठक की जा सके और राजभाषा हिंदी का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

*****

निदेशक, तकनीकी समन्वय, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2023 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित राजभाषा प्रयोग की स्थिति की समीक्षा बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के नाम:-

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)/पदनाम
1.	भूपेन्द्र सिंह, निदेशक (तकनीकी समन्वय)
2.	शिशिर कुमार नन्दा, निदेशक (स्थापना-1)
3.	अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक (पीसीपी)
4.	ए.के. दास, निदेशक (स्थापना-2)
5.	ए.सी. मल्लिक, निदेशक (स्थापना-3)
6.	अभय कुमार, निदेशक (आरएमसीडी)
7.	सचिन देव वर्मा, अवर सचिव (स्था.9)
8.	आर.के. शर्मा, उप निदेशक (डी एंड आर सी)
9.	राम विनोद सारस्वत, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय
10.	अमिताभ तिवारी, उप निदेशक, एसएमडी निदेशालय
11.	धीरेन्द्र कुमार गर्ग, लेखा अधिकारी
12.	रजिन्दर पॉल, उप निदेशक (रा.भा.)
13.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग
14.	पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग